



सम्पादकीय

बीबीए के प्रस्तावित पाठ्यक्रम में हिन्दी की उपेक्षा

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर बीबीए के पाठ्यक्रम को जारी किया है। यद्यपि यह पाठ्यक्रम प्रस्तावित है, फिर भी इस पाठ्यक्रम को देखने से प्रतीत होता है कि इसमें भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गयी है। देश के अनेक विश्वविद्यालयों में वर्तमान में बीबीए पाठ्यक्रम वार्षिक अथवा सेमेस्टर पद्धति पर संचालित हो रहा है। इसमें एकरूपता लाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वार्षिक पद्धति के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति से बीबीए पाठ्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयीन स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी गयी है। विद्यालयीन स्तर पर वर्ष 2025-26 से लागू हाने वाले पाठ्यक्रम में कक्षा नव्वी के बाद दो भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा का चयन अनिवार्य किया गया है। इसमें अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा माना गया है। कक्षा दसवीं तक संस्कृत भाषा का पठन-पाठन अनिवार्य किया गया है। इसके विपरीत स्नातक स्तर पर प्रस्तावित बीबीए के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया है, लेकिन हिन्दी अथवा राजभाषा में शामिल क्षेत्रीय भाषाओं को किसी भी सेमेस्टर में स्थान नहीं दिया गया है। एक तरफ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं में अध्ययन-अध्यापन करने के लिए कटिबद्ध है। मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिन्दी माध्यम में करने की शुरुआत की गयी। चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में पुस्तकें तैयार की गयीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनेक कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है। बावजूद इसके बीबीए के प्रस्तावित पाठ्यक्रम में हिन्दी की उपेक्षा समझ से परे है। तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों में लाखों की संख्या में पारिभाषिक शब्द तैयार किए हैं। प्रबंधन की शब्दावली भी इसमें शामिल है। हिन्दी माध्यम में उच्च शिक्षा आजादी के बाद से ही प्रश्नों के घेरे में रही है। सैद्धांतिक रूप से हिन्दी माध्यम को अपनाने पर सभी एकमत हैं, परंतु क्रियान्वयन के स्तर पर आसान मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी को ही स्वीकार कर लिया जाता है। आज तकनीक ने भाषायी बंधनों को ढीला कर दिया है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीक ने इस गति को तीव्र कर दिया है। दुनियाभर के ज्ञान को अपनी भाषा में पलक झपकते हासिल किया जा सकता है। यह जरूर है कि तकनीक का भावनाओं के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसलिए अपनी भाषा की संस्कृति, इतिहास, भूगोल और व्याकरण का ज्ञान होने पर इस तकनीक का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी मातृभाषा का समुचित ज्ञान होना जरूरी है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में हिन्दी को शामिल करने का यह आशय कदापि नहीं है कि उसमें हिन्दी साहित्य को स्थान दिया जाए, बल्कि तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गयी शब्दावली और अनुप्रयोगों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए। इस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है।